शोध मंथन Vol. XV No.IV Oct.- Dec. 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

भारतीय ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिकाः एक अध्ययन

प्राप्तिः 05.10.2024
स्वीकृतः 20.12.2024

80

डॉ0 रमेश सिंह,
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
पंडित सुंदरलाल मेमोरियल पी0जी0 कॉलेज, कन्नौज
Email: drrameshbhaduria@gmail.com

सारांश

इस प्रकार ग्रामीण भारत की महिलाओं द्वारा भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण भारत की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य है ऐसा करना न केवल व्यक्ति परिवारों और ग्रामीण समुदायों की खुशहाली के लिए आवश्यक है बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मेलन आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया की समय की मांग है, कि महिलओं को उनकी क्षमता का एहसास कराया जाए उनका भविष्य उज्जवल है। उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए उनका मार्गदर्शन और पोषण किया जाए।

वर्तमान समय को वैश्वीकरण का युग माना गया है आज वैश्वीकरण के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं रह गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से नवीन संचार माध्यमों की भूमिका रही है सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने निसंदेह वैश्वीकरण को बहुत बढ़ाया है। वैश्वीकरण के इस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है।

स्त्रियों को पुरूषों के समान दर्जा तथा अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में भारतवर्ष विश्व में हुए वैचारिक परिवर्तनों में पीछे नहीं रहा। भारत और विश्व में सन् 1975 को महिला वर्ष के रूप में तथा 1975 से 1985 महिला दिवस के रूप में मनाया गया। भारतवर्ष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्णय तथा प्रतिवद्धता महिलाओं के सशक्तिकरण के हित में लिए गए है, उनमें भारत सदैव अग्रणी रहा है। उदाहरणतः– यू0एन0 हयूमन राइट्स कन्वेंशन ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन 1979, तथा यूएन कन्वेंशन ऑफ राईट ऑफ चाइल्ड (1989), द यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस्त्रैशनल आर्गेनाइज्ड क्राईम (2000), मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (2015) आदि में शामिल होकर उनमें प्रतिभागिता।

स्वयं सहायक समूह आपस में अपनापन रखने वाले एक ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों का एक समूह

है जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करके और उनको समूह में सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों को उसकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य भत्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते है। ग्रामीण और शहरी महिलाओ के बीच भी बड़ा अंतर विद्यमान है। कुल कार्य में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 30% है। (2011 की जनगणना के अनुसार) जबकि शहरी महिलाओं की कार्य में भागीदारी 15.4 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। लेकिन काम में इस ज्यादा भागीदारी के बावजूद ग्रामीण महिलाओं को जो लाभ मिलने चाहिए वह नहीं मिले। इससे उनके न शिक्षा के अवसर बड़े, न ही संपत्ति में कोई खास बढ़ोतरी हुई। वास्तव में ग्रामीण महिलायें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित महिलाओं की स्थिति अत्यंत शौचनीय है। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं असंगठित क्षेत्र, कृषि और सहायक गतिविधियों, उद्योगो आदि में कार्यरत है। यह गतिविधियां कड़ी मेहनत वाली और कम आय वाली है। डिजिटल तकनीकी के आने के बाद डिजीटल साक्षरता की कमी के कारण शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में अंतर और भी बढ़ गया है। भारत में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी खेती कार्यों में संलग्न है। इस आबादी द्वारा किए जाने वाले कुल कृषि का 70 से 80 फीसदी कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें कानूनी और सामाजिक तौर पर किसान के रूप में मान्यता नहीं मिली है। खेती में होने वाले विभिन्न कामों में भी स्त्री और पुरूष के काम पारंपारिक रूप में बटे हुए है। पुरूषों का जुताई और कटाई जैसी गतिविधियों में वर्चस्व है। जो इन दिनों काफी हद तक मशीनों से होने लगा है। वहीं महिलाएं ज्यादातर रोपाई और अंतर फसल (इटरक्रॉपिंग) जैसे कार्यों में लगी होती है, जिनमें कड़ी मेहनत लगती है। तकनीकी औजार उपलब्ध नहीं होते हैं या महिलाओं की उन तक पहुंच नहीं होती है। स्तरीय नियोजन द्वारा सर्वप्रथम उनमें अपनी प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु उन्हें अभिप्रेरित किया जाए। जिनका क्रियान्वयन समूह के माध्यम से वे स्वयं करें। इस प्रकार यह वर्ग भी विकास का एक अंग बनकर अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक योगदान कर सकता है तथा उपलब्ध सीमित संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। इस शोध पत्र में द्वितीयक आकड़ों का उपयोग करते हुए ग्रामीण महिलाओं में स्वयं सहायता समूह के द्वारा सशक्तिकरण पर विचार प्रस्तुत किये गये है।

कृषि के अलावा सभी उद्योग समूह में महिलाएं कम पैसों पर दैनिक मजदूर के तौर पर काम करती हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है, उनके काम और कौशल को हम कम आंकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर देना भी उनके लिए अवसर कम कर देना है। लगभग 80 प्रतिशत उधम ग्रामीण महिलाओं से सम्बन्धित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकांश उद्योग अनुबंधित गृह उद्योग है। जो मूल्य श्रृंखला में निचले पायदान पर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित महिला कामगारों की श्रमिक बल में अत्यंत भागीदारी है और वे शिक्षा में विनिर्माण, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य तक सीमित है।

स्वयं सहायक समूह की अवधारणा

ग्रामीण विकास तथा महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण

बात यह उभर कर आई है कि गरीब वर्ग विशेषकर महिलाएं अत्यंत कम संगठित है। जिनके परिणाम स्वरूप वह विकास कार्यक्रमों का यथोचित लाभ नहीं उठा सकती, उनमें पर्याप्त क्षमता भी नहीं है कि अकेले तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में अपने को एक आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित कर सकें। यदि गरीब व्यक्ति अपने को समूह में संगठित कर ले, तो वे अपनी संगठित शक्ति तथा क्षमता के बलबूते पर आर्थिक क्रियाकलापों में आने वाली समस्याओं का सामूहिक रूप से निराकरण कर सकेंगे।

इसी सन्दर्भ में बीसवीं सदी के अंतिम दशक में गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों में स्वयं सहायता की अवधारणा को बल मिला और अनुभव किया गया कि सर्वप्रथम गरीबों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है, ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके कि वह अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्हें गरीबी के चक्रव्यूह से निकालने के लिए आवश्यक है कि उनमें अवसरों का उचित लाभ उठा सकने की क्षमता का विकास किया जाए एवं आभास दिलाया जाए, कि संगठित होकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यह अपना विकास सुनिश्चित कर सकते है।

लगातार निर्धनता के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गो में ऐसी मानसिकता घर कर लेती है कि वह अपना विकास कर सकने में सक्षम नहीं है और दूसरों पर आश्रित है। उनकी इस दशा के कारण यह उत्पादक साधनों से पूर्णतः वंचित हो गए है। सम्पन्न वर्गों पर उनकी निर्भरता की और अधिक प्रबल करने में संस्थागत प्रयासों (डिलीवरी सिस्टम) का भी दोष रहा है। जिन्होंने सभी गरीबों की क्षमता को स्वीकारा ही नहीं है उन पर ऊपर से बनाई गई योजनाएं थोपी गई, जिसके फलस्वरूप नीति निर्धारकों एवं क्रियान्वयकों तथा गरीबी के मध्य लाभदाता तथा प्राप्तकर्ता का सम्बन्ध विकसित हो गया है। गरीब वर्ग प्रत्येक समस्या के लिए सरकार की तरफ उन्मुख हो जाता है और एक तरह का डिपेंडेस सिंड्रोम पैदा हो जाता है अर्थात् वे सदैव ही अपने को आश्रित समझते हैं।

स्वयं महायता समूह की अवधारणा के मूल में गरीबों को संगठित करना तथा उन्हें स्वयं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना है। स्वयं सहायता समूह, एक समान सोच पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य वाला छोटा समूह/संगठन है। जो अपनी सामूहिक क्षमताओं से अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह समूह सामाजिक,आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन तथा सशक्तिकरण के मंच है। जिनके माध्यम से असंगठित गरीब वर्ग संगठित होकर अपने सामाजिक, आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करते है। चूंकि विकासशील/अविकसित समाज में अत्यंत श्रम शक्ति प्राथमिक स्तर (कृषि व अन्य संबंधित कार्य) में संलग्न रहती है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनका संगठन कैसा हो? क्या आकार हो? तथा उसके सामने क्या उद्देश्य है? यह आवश्यक है कि उनके अपने एक छोटे–छोटे समूह हो, जिन्हें वह स्वयं सम्भाल सके तथा उनका कुशल प्रबन्धन कर सकें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि समूह का आकार व स्वरूप का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि गरीब अपने समूह का बिना दूसरों पर निर्भर किए हुए प्रबंधन कर सके वह अपने सामूहिक प्रयासों को उत्पादनेमुखी बना सके। विशेषज्ञों ने यह भी अनुभव किया है कि समूह का आकार ऐसा होना चाहिए कि उन्हें औपचारिक परिवेश से बाहर निकाला जा सके।

स्वयं सहायता समूह की उपयोगिता

1. समूह के माध्यम से ही व्यापक स्तर पर रोजगार गरीबों को उपलब्ध कराए जा सकते है।
2. समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभ निर्धनतम लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं तथा ऐसे प्रयासों की निरंतरता बनाई जा सकती है।
3. समूह के माध्यम से सामाजिक विभाग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा इसे कम लागत में करके इसमें अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सकती है।

सूक्ष्म ऋण (माइक्रोफाइनेंस) एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रकार की वित्तीय तथा गैर सेवाएं सम्मिलित है। इनमें कौशल विकास एवं उच्चीकरण, उद्यमिता विकास आदि को भी शामिल किया जाता है। जिनके द्वारा निर्धन वर्ग को इस योग्य बनाया जा सकता है, कि वे गरीबी की समस्या के ऊपर काबू पा सके, माइक्रोफाइनेंस गरीबी उन्मूलन हेतु एक नए चिंतन अथवा विचारध ाारा के रूप में उभर कर आया है। उस के माध्यम से निर्धन व्यक्ति विशेषकर महिलाओं का वार्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण संपादित किया जा सकता है। माइक्रोफाइनेंस का क्रियान्वयन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।

1. गरीबी उन्मूलन हेतु स्वरोजगार के जीवन की स्थापना।
2. उक्त उद्यम की पूंजी/ऋण तक पहुंच ना होने में कठिनाइयां अथवा बाधाएं।
3. निर्धन व्यक्ति न्यून आमदनी होने के बावजूद बचत करने की क्षमता रखते हैं।

इस प्रकार सूक्ष्म ऋण को एक ऐसा संस्थागत ढांचा कहा जा सकता है जिसके माध्य से ऐसे छोटे–छोटे समूह छोटे–छोटे कर्जे दें तथा अन्य अनुपूरक सहायता जैसे प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधि ात सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें ऐसे लोग जिनके पास संसाधन अथवा कौशल दोनों का अभाव होता है। आर्थिक कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकेंगे।

ऐतिहासिक प्रेक्ष्य में देखा जाए जो ज्ञात होता है कि माइक्रोफानेंस का जन्म जर्मनी में सहकारी आंदोलन के साथ 1944 में हुआ। उस समय जर्मनी के साथ सहकारिता आधारित व्यवस्था प्रारंभ हुई। इस प्रकार भारत में ऋण समितियां अधिनियम 1995 लागू होने के साथ ही माइक्रोफाइनेंस की शुरूआत मानी जा सकती है। भारतवर्ष में निर्बल वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं के विषय में पहली बार ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1966 के गठन के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया इस कमेटी द्वारा वह बलपूर्वक कहा गया कि ऋण की उपलब्धता छोटे किसानों के लिए सहज बनाई जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी के गठन की सिफारिश की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में 45 जिलों में इसकी स्थापना की गई। इसके पश्चात् 1975 में ग्रामीण बैंक संबंधी कार्यकारी दल के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लघु और सीमांत कृषि श्रमिकों, व्यापार, उद्योग तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए स्थापना तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करना है।

विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पूरे विश्व का अनुभव यह दर्शाता है कि इन कार्यक्रमों की सफलता की कुंजी समुदाय आधारित संस्थाओं की इन कार्यों में भागीदारी में है। इसलिए ऋण वितरण तथा उसकी वसूली की प्रणाली में जनता की सहभागिता तथा इस प्रणाली का ऋण लेने वालों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अंतर्सम्बन्ध की स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम में निर्धनों को ऋण समर्थन अथवा सहायता को एक सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है।

सूक्ष्म ऋण के उद्देश्य

1. ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं जो औपचारिक बैंकों में आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने में असमर्थ रहीं हैं, के लिए वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराना।
2. स्वयं सहायता समूह को आगे उधार देने तथा इनकी एवं ग्राम स्तर पर अन्य माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के लिए धन उपलब्ध कराना।
3. स्वयं सहायता समूह तथा बैंको के लिए इस कार्यक्रम में विस्तार के कार्य को समर्थन देना।

सूक्ष्म ऋण कार्यों में विशेषज्ञता बढ़ाना

सूक्ष्म ऋण संस्थाओं की प्रणाली के विकास में आवयकतानुसार समर्थन कर उसकी विशेषज्ञता बढ़ाई जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि नाबार्ड द्वारा पहल करने के फलस्वरूप 1992 में 255 स्वयं सहायता समूह की तुलना में 2,000 – 2,13,213 स्वयं सहायता समूह ने बैंको से लिंक किया जा चुका है। नाबार्ड इसे ऋण कार्यक्रम के रूप में नहीं लेता बल्कि वह इसे एक अभिनव कार्य मानता है। जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का समग्र सशक्तिकरण सम्भव है। नाबार्ड को 2008 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह को बैंक से लिंक करने का लक्ष्य था। उसके द्वारा इन योजनाओं के हुए आर्थिक प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है और इन अध्ययनों से अभी तक बहुत ही उत्साहजनक परिणान सामने आए है। इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह ने प्रोत्साहन कार्य में संलग्न एन0जी0ओ0 की संख्या 718 से बढ़कर 1030 हो गई है।

रिवाल्विंग फंड के रूप में एन0जी0ओ0, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन तथा क्रेडिट यूनियनों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार माइक्रोफानेंस के कार्य में लगी संस्थानों की क्षमता में वृद्धि में भी नाबार्ड सहायता करता है नाबार्ड की भावी राणनीति में निम्नलिखित बाते शामिल है। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में जहां अभी तक अवधारणा विस्तार नहीं हुआ, नई संस्थाओं सहयोगियों में जागरूकता पैदा करना तथा उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करना स्वयं सहायता समूह की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं से सम्पन्न करने में सहायता करना।

उक्त पृष्ठभूमि में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के एक प्रमुख आयाम के रूप में उभरी और इससे नियोजन प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आये। अब साधन विहीन महिलायें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी स्वयं की क्षमता बढ़ा सकेगी तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। इस प्रकार से यह महिला सशक्तिकरण की अपीलीय श्रेणी है। स्वयं सहायता समूहों में आपसी अंतर संबंध है और यह समस्त स्तरीय (होरिजोंटल तथा वर्टिकल) दोनों

प्रकार के है। इन समूहों में संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन के माध्यम से यह सरकारी तथा वित्तीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर सकते है और उनका पूरा लाभ उठा सकते है।

स्वयं सहायता समूह–गठन एवं प्रबंधन प्रक्रिया

समूह के गठन में क्षेत्रीय अथवा सामाजिक कार्यकर्ता जिसे प्रवर्तक भी कहते है कि बहुत अहम भूमिका होती है। प्रवर्तक के द्वारा गांव में एक स्थान चयनित कर महिलाओं की मीटिंग कर 10 से 12 महिलाओं का चयन किया जाता है। जिसमें एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष तथा 10 सदस्य बनाकर समूह गठित कर दिया जाता है। समूह के नाम से खाता संबंधित राष्ट्रीय बैंक में खोल दिया जाता है। जिसका संचालन समूह के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप में किया जाता है। प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि पर समूह की मीटिंग की जाती है और प्रत्येक सदस्य द्वारा कोषाध्यक्ष की बचत का एक अंश जमा कराया जाता है। 6 माह पश्चात् आपसी अंतर व्यवहार के द्वारा जरूरतमंद सदस्य को समूह निर्धारित ब्याज पर उस रकम को धारण के रूप में बांट दिया जाता है। यह ब्याज समूह की आय का हिस्सा होता है। सदस्यों की बचत तथा समूह की बचत समूह को सुदृढ़ करने में मदद करती है तत्पश्चात् बैंक समूह के लेनदेन बचत के आधार पर दो बार में अनुदान सहित ऋण स्वीकृत करते हैं। जिसमें से सभी सदस्यों को बराबर बाँट दिया जाता है। जिसके द्वारा सदस्य सूची व्यवसाय जैसे बकरी पालन, पशु पालन, सिलाई, कढ़ाई केन्द्र प्रारम्भ कर देते हैं।

समूह की परियोजना के अनुसार नाबार्ड प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। समूह सदस्यों द्वारा बैंक से लिया ब्याज सहित चुकाने के बाद उन्हें ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है और समूह की परियोजना को गति प्रदान की जाती है। इस कर्म में समूह के सही लेनदेन एवं व्यवसायिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए बैंक समूह के प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकता अनुसार करन्ट क्रेडिट लिमिट की सुविधा प्रदान करती है।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य 15 से 18 माह तक एक प्रक्रिया से गुजर कर अपने द्वारा जमा की गई अंश पूंजी, समूह में बांटे आपसी ऋण द्वारा प्राप्त ब्याज तथा बैंक द्वारा मिले अनुदान को मिलाकर एक व्यवसाई बन जाती है। महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक मदद करने में आत्मनिर्भर हो जाती है। समूह में अनुशासन एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ग्रामीण महिलाओं क समक्ष प्रमुख चुनौतीः शिक्षा का निम्न स्तर

ग्रामीण महिलाओं के सामने मुख्य समस्या उनकी शैक्षिक प्रगति का निम्न स्तर है। ग्रामीण महिलाओं में निरक्षरता दर और स्कूलों में ड्राप आउट की दर काफी अधिक है। शिक्षा का अभाव देश की अन्य विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है। कानूनी अधिकारों के बारे में कम जानकारी होने से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में रूकावट पैदा होती है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्वयं सहायता समूह की अवधारणा तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने में पथ प्रदर्शक रहा है उसके द्वारा 1992 में स्वयं सहायता समूह के साथ बैंको का लिंक का कार्य प्रारम्भ किया गया था और तब से ग्रामीण निर्धनों की औपचारिक बैंको तक पहुंच का कार्य गति पकड़ता जा रहा है और पिछले दशक के निर्धनों द्वारा ऋण प्राप्त करने

वालों तथा बैंको द्वारा इस सेवा के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार के 2000–2001 के बजट में परित प्रस्ताव के अनुपालन में नाबार्ड द्वारा 100 करोड़ का माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है। जिसके कोश की प्रारंभिक अवस्था में 980 करोड़ की धनराशि जमा की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा नाबार्ड की बराबर की हिस्सेदारी है। दस कोश का उपयोग स्वयं सहायता समूह तथा बैंकों के बीच लिंकेज स्थापित करने के कार्य का विस्तार करने तथा अन्य अभिनव प्रयोगों हेतु किया जा रहा है।

भारत की महिलाओं को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए है। ग्रामीण समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक है। जहां महिलाएं दूसरों पर आश्रित होकर भी जीवन–यापन में कठिनाई महसूस करती हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह द्वारा आत्मनिर्भर होकर सरल, सहज और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी है। महिला अपने परिवार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करने लगी है। बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, रहन–सहन की व्यवस्था के लिए अपने परिवार पर निर्भर ना होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण भारत की महिलाएं अनुशासन में रहकर एकता के सूत्र में बंधकर अपनी सहायता करने लगी है।

सन्दर्भ

1. विश्नोई हरि (2002) स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बनने का अनूठा उदाहरण कुरूक्षेत्र मार्च 2002
2. भारद्वाज जी Socio-political मूवमेंट अमंग वूमेंस ऑफ इंडिया, एस0सी0 दुबे एसिटेड वीमेन हेरिटेज ऑफ इंडिया एथनी सिटी आईडेंटिटी एंड इंटरेक्शन वॉल्यूम फर्स्ट, विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली पृ0सं0 141–160
3. गोपालकृष्णन बिब0के0 (1998) स्वयं सहायता समूह द्वारा और ग्रामीण महिलाओं को कायम रखना माइक्रोक्रेडिट 45 समाज कल्याण, मार्च वॉल्यूम 12 पृ0सं0 19–20
4. ललिता एंड और बी0एम0 नागराजन (2002) ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह, नई दिल्ली प्रमुख प्रकाशन और वितरक पृ0सं0 22
5. कृष्ण, विजया, आर और दास अमरनाथ, आर 2003 आंध्र प्रदेश जिला में एक अध्ययन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0सं0 32
6. त्रिपाठी के0के0 (2004) सेल्फ हेल्प ग्रुप्स : अकैटालिस्ट लिस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कुरूक्षेत्र टू 52(8) जून पृ0सं0 40,43
7. गरीबी की समस्या यू0एन0डी0पी0 2000
8. राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक के आंकड़े इंटरनेट
9. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकडे इंटरनेट
10. कुरूक्षेत्र 2018
11. जनगणना 2011
12. कुरूक्षेत्र 2021